न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

वचनाराम पुत्र वेनाराम पटेल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या 233/2025

अन्तर्गत धारा :– अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

<table>
<tr><th>हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>12/11/25</td><td>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वचनाराम पुत्र वेनाराम पटेल निवासी राजेश्वर नगर मोगड़ा कल्ला, तहसील लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कांकाणी के खसरा नंबर 722 के राजस्व रैकर्ड में वेनाराम के वारिसानों के पिता के नाम भूलवंश वेनाराम के स्थान पर नैनाराम हो गया जबकि सरकारी दस्तावेजों के अनुसार पिता का सही नाम वेनाराम पुत्र श्री भगवाना राम पटेल हैं जिसे दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी कर प्रकरण में जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के प़त्रांक/भू.अ./2025/3254 दिनांक 31.10.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। तहसीलदार लूणी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कांकाणी के खसरा नंबर 722 में नामान्तरकरण संख्या 1522 में नैनाराम उर्फ वेनाराम पिता भगवान राम का फौतेदगी नामान्तरकरण में नैनाराम उर्फ वेनाराम का विरासत नामान्तरकरण दर्ज किया गया लेकिन वर्तमान जमाबंदी में वारिसान के पिता का नाम नैनाराम उर्फ वैनाराम ही दर्ज हुआ जबकि वारिसों के पहचान पत्र में पिता का नाम वैनाराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पेश अन्य जमाबंदी ग्राम श्री राजेश्वर नगर के खसरा संख्या 53 एव 90 में भी प्रार्थीगण के पिता का नाम वेनाराम दर्ज है। ग्राम पंचायत मोगड़ा कल्ला द्वारा जारी मृत्यू प्रमाण पत्र दिनांक 27.03.1997 में भी प्रार्थी के पिता का नाम वेनाराम है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम नैनाराम के स्थान पर वेनाराम किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम कांकाणी के खसरा नंबर 722 के राजस्व रैकर्ड में वेनाराम के वारिसों का, उनके पिता के नाम नैनाराम के स्थान पर वेनाराम किये जाने की रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

हंसमुख कुमार आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी</td><td></td></tr>
</table>